

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (507) आकाश/अनु/2008/594

दिनांक-22/1/12

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2012-13 से पूर्व में आवंटित भूकामों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र. सं.	पत्रा सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1	507	प्रिंस एकोडमी ऑफ हायर एज्युकेशन, गाल्स कालेज	सीकर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय

नोट - संस्था 6 माह में सम्बंधित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक परीक्षा का अनुमोदन पत्र प्राप्त कर सलान करे।

- संबंधित विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने का दायित्व संस्था का होगा।
  - संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यूजीसी, अर्हताप्राप्ति प्राचर एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
  - राज्य सरकार संस्था को प्रतिदिन व पविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगा।
  - संस्था को समय-2 अत्र यूजीसी/राज्य सरकार/निदेशालय कालेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था द्वारा राजस्थान और सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
- संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उक्त विश्वविद्यालय को स्थायी मान्यता को प्रत्याहृतित (Withdraw) किया जा सकता है।
- संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार निदेशालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
- संस्था को जो कार्य की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाने अनिवार्य होगा।

- विधि महाविद्यालयों को यूजीसी के नियमों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- प्रति वर्ष निदेशालय से सलानकी मुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएं भारकर निदेशालय को भेजनी।

निदेशक

कालेज शिक्षा राज्. जयपुर

प्रतोलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव गण उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव निदेशक कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, सीकर।
5. विद्यार्थी कर्मचारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. मूल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. अधिक सम्बंधित महाविद्यालय।
8. आधिकारिक शाखा, निदेशालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. उचित मात्रा में।

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)

उत्तम

सचिव

प्रिंस एकोडमी ऑफ हायर एजुकेशन  
पालवास रोड, सीकर